पीएम जन-मन में 80 फीसदी मंजूर कार्य पूरे

विभागीय समीक्षा बैठक में मंत्री विजय शाह ने दी जानकारी

प्रशासनिक संवाददाता
भोपाल, 22 अगस्त. जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने गुरूवार को गैस राहत संचालनालय के सभाकक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक ली.

डॉ. शाह ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जन-मन) की प्रगति की जानकारी ली. बताया गया कि पीएम जन-मन के क्रियान्वयन में मप्र पूरे देश में अव्वल स्थान पर है. पीएम जन-मन में मप्र की विशेष पिछड़ी जनजातीय बहुल 24 जिलों में चल रहें विभिन्न श्रेणी के विकास कार्य में तेज गति से कार्य किया जा रहा है. अब तक करीब 80 प्रतिशत मंजूर कार्य पूरे हो चुके है. जनजातीय कार्य मंत्री ने पीएम जन-मन की प्रगति पर संतोष जताया. शाह ने कहा कि प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया एवं सहरिया के पढ़े-लिखे युवाओं को शासन के नियमानुसार शासकीय सेवाओं में सीधी भर्ती के लिये अभियान चलायें. इन जनजातियों की बहुलता वाले हर जिले में पांच-पांच गांव आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किये जायें. इन गांवों में हर जरूरी विकास कार्य करायें जायें. बच्चों को विशेष पोषण आहार एवं देखभाल के लिये इन गांवों में मॉडल आंगनवाड़ियां भी तैयार की जायें. जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. शाह ने कहा कि पीएम जन मन के तहत मंजूर सभी प्रकार के विकास, कौशल उन्नयन एवं अधोसंरचात्मक निर्माण कार्य 31 अक्टूबर तक पूरे करने का प्रयास करें. इस योजना में सरकार गांव-गांव तक सड़क बनाकर सबको पक्का घर एवं हर-घर बिजली पहुंचाने के लिये प्रयास कर रही है. पीएम जन-मन के तहत प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति की 11 लाख 42 हजार 719 आबादी के समग्र विकास के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकार मिलकर प्रयास कर रही है. इनके गांवों में हितग्राहीमूलक एवं सामुदायिक विकास कार्य कराये जा रहे हैं. योजना की प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा रेगुलर मॉनिटरिंग की जा रही है. इन जनजातियों के स्वास्थ्य उपचार एवं जांच के लिये प्रदेश में 66 मोबाईल हेल्थ वेन शीघ्र ही कार्यशील हो जायेंगी. बैठक में जनजातीय कार्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द सभी परियोजना सलाहकार मंडलों का गठन कर लिया जाये.

गैस पीड़ित परिवारों के एक हजार युवाओं को देंगे प्रशिक्षण

शाह ने बाद में भोपाल गैस राहत त्रासदी व पुनर्वास विभाग के कार्यों की भी समीक्षा भी की. उन्होंने कहा कि गैस पीड़ित परिवारों के एक हजार युवाओं को जनजातीय कार्य विभाग के अधीन प्रशिक्षण संस्था मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद (मैपसेट) के माध्यम से रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जायेगा, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें. प्रशिक्षण के लिये जरूरी राशि गैस राहत विभाग वहन करेगा. उन्होंने कहा कि गैस पीड़ित परिवार के युवाओं को कम्प्यूटर कोर्सेस के अलावा पैरा मेडिकल कोर्सेस भी कराये जायेंगे. गैस पीड़ितों के बेहतर पुनर्वास के लिये विभाग द्वारा अब बड़े कदम उठायें जायेंगे. मंत्री डॉ. शाह ने गैस राहत संचालनालय के समीप नाला निर्माण कराने और परिसर की समुचित सफाई कराने के निर्देश दिये. उन्होंने जिला प्रशासन भोपाल के अधिकारियों को भोपाल शहर में मौजूद गैस राहत विभाग के स्वामित्व वाली भूमि व परिसरों (शेड) पर अतिक्रमण हटाकर कब्जा पुन: भोपाल गैस राहत विभाग को दिलाने के लिए निर्देशित किया.

सदस्यता अभियान में दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बनेगा मप्र

रायसेन जिले की जिला स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रदेश सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने कहा

प्रशासनिक संवाददाता
भोपाल, 22 अगस्त. मप्र में भाजपा संगठन ने 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का संकल्प लिया ह। इसी तरह रायसेन जिला संगठन ने नए सदस्य बनाने का जो लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप सभी प्राणप्रण से कार्य में जुट जाएं. रायसेन में संगठन पर्व के दौरान सबसे अधिक सदस्य बनाकर प्रदेश में शीर्ष पर आकर रिकार्ड बनाएं. मप्र सदस्यता अभियान में दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बनेगा.

यह बात भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने रायसेन जिले के शगुन गार्डन में आयोजित संगठन पर्व की जिला स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कही. इसी तरह की कार्यशाला बुरहानपुर और टीकमगढ़ में भी हुई. इस दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन की कार्यशाला को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि संगठन द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान में रायसेन जिले के सभी पार्टी कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से सहभागिता करें. उन्होंने कहा कि संगठन पर्व में हर गांव में प्रत्येक कार्यकर्ता पहुंचकर अधिक से अधिक लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाएं. मैं भी संगठन पर्व के तहत प्रवास करूंगा. भाजपा प्रदेश सह प्रभारी ने कहा कि भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को संगठन पर्व के माध्यम से नए सदस्य बनाकर भारत माता की सेवा करने में जुट जाना चाहिए. भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है. संगठन की मजबूती से ही अब लगातार तीसरी बार नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं. इसलिए संगठन को और मजबूत करने के लिए संगठन पर्व के दौरान अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए कार्यकर्ता प्रयास करें.

31 को हर बूथ पर कार्यशाला का आयोजन हो

सतीश उपाध्याय ने कहा कि मप्र के संगठन की अपने कार्यों और संगठन शक्ति के कारण देश-दुनिया में चर्चा होती रहती है. हमें सदस्यता का जो लक्ष्य रखा है, उसे हासिल कर देश भर में पहले नंबर पर रहना है. मप्र के कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान प्रारंभ होने के पहले घंटे से इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य करना है. 25, 26 और 27 अगस्त को मंडल स्तर की तथा 28 और 29 अगस्त को शक्ति केंद्र स्तर की कार्यशालाएं आयोजित की जाना है. उन्होंने कहा कि इसके बाद 31 अगस्त को जिले के सभी बूथों पर ऐसी ही कार्यशालाएं आयोजित की जाना सुनिचित करें. सदस्यता अभियान में भी मध्यप्रदेश भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाने जा रही है, जिसके लिए आप सभी को महती भागीदारी है.

पश्चिम मध्य रेल ने गैर-किराया राजस्व से आय में की वृद्धि

भोपाल, 22 अगस्त. रेलवे में गैर-किराया राजस्व (नॉन फेयर रेवेन्यू) में वृद्धि के लिए नवाचारों और नवीन अवधारणाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में महाप्रबंधक के मार्गदर्शन में नॉन फेयर रेवेन्यू के तहत प्रमुख विभागाध्यक्षों द्वारा तीनों मण्डलों पर नवाचारों और नवीन अवधारणाओं को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे है। जिसके चलते नॉन फेयर रेवेन्यू स्कीम यानि गैर-किराया राजस्व योजनाओं के अन्तर्गत रेलवे राजस्व अर्जित करने में पश्चिम मध्य रेल का वाणिज्य विभाग अहम भूमिका निभा रहा है।

कार्यकर्ता घर-घर पहुंचकर पार्टी के सदस्य बनाएं

जिला स्तरीय कार्यशाला में बोले कैलाश विजयवर्गीय

इंदौर 22 अगस्त. भारतीय जनता पार्टी इंदौर महानगर द्वारा रविन्द्र नाट्य गृह में सदस्यता अभियान को लेकर संगठन पर्व की जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश शासन के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा कि संगठन पर्व के अंतर्गत प्रत्येक कार्यकर्ता को घर-घर जाकर पार्टी के सदस्य बनाने का प्रयास करना चाहिए।

कई बार लोगों के मन में होता है कि हमें भाजपा से जुड़ना है, पार्टी के लिए काम करना है, परंतु हम ही उन तक नहीं पहुंच पाते।

उन्होंने कहा कि हमें इस विचार पर काम करना है कि समाज में दो तरह के लोग होते हैं-एक स्वयंसेवक और एक भावी स्वयंसेवक। ठीक उसी तरह हमें भी इसी मनोभाव से सभी से संपर्क कर उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाने का कार्य करना है। गुरूवार को प्रदेश के टीकमगढ, बुरहानपुर में भी कार्यशाला संपन्न हुई।

नई सदस्यता के मामले में इन्दौर नंबर-1 हो

भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के जितने भी महानगर हैं, उनमें नई सदस्यता के मामले में इंदौर नंबर वन पर होना चाहिए। इंदौर शहर के कार्यकर्ता बहुत क्षमतावान हैं और जैसी भी चुनौती होगी हम उसे स्वीकार करेंगे। डॉ. महेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्रीनरेंद्र मोदी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा द्वारा सदस्यता ग्रहण कराने के पश्चात प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा सदस्यता ग्रहण करेंगे। उसके पश्चात हमारी सदस्यता प्रारंभ होगी। उन्होंने कहा कि हमें देश में दो संदेश पहुंचाना है। पहला यह कि अगर सदस्यता अभियान में नंबर वन कोई प्रदेश है तो वह मध्यप्रदेश है और दूसरा संदेश यह कि अगर कोई महानगर नंबर वन है तो वह इंदौर है। संगठन पर्व की रूपरेखा हमें शक्ति केंद्र एवं बूथ स्तर तक बनानी है।

एक नजर में

नीमच के किसान को मिला कृषक फैलो सम्मान

नीमच। जिले की मनासा तहसील के छोटे से गांव भाटखेड़ी के रहने वाले जागरूक किसान कमलाशंकर विश्वकर्मा को प्रदेश स्तर पर कृषक फैलो सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। नवाचारी किसान ने कृषि विज्ञान केंद्र, नीमच के वैज्ञानिकों, वन विभाग, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में अपने खेत को टूरिस्ट स्पॉट बना दिया, जहां फोटोग्राफी, फ़ोटोशूट के लिए आसपास से काफी लोग आते है। जिसके चलते श्री कमलाशंकर विश्वकर्मा को कृषि वानिकी एवं पर्यावरण पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य एवं नवाचार करने के लिए प्रदान किया गया। जिसमें सम्मान पत्र, शील्ड एवं दस हज़ार रुपए का चैक शामिल है। प्रदेश भर से चयनित मात्रा चार किसानों को यह सम्मान दिया गया। उक्त सम्मान राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के स्थापना दिवस पर आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में आईसीएआर, नई दिल्ली के डिप्टी डायरेक्टर जनरल (एजूकेशन), विश्वविद्यालय के कुलगुरु एवं अन्य मंचासिन अतिथियों द्वारा प्रदान किया गया।

एमजीएम इन्दौर को प्राप्त हुआ मध्य भारत का पहला एंडोजेनस ब्लड इरेडिएटर

भोपाल. महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर को बीएआरसी (भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र) द्वारा निर्मित 50 लाख रुपये की लागत वाला एंडोजेनस ब्लड इरेडिएटर प्राप्त हुआ है। इसमें कोबाल्ट-60 स्रोत का उपयोग किया गया है। यह उपकरण मध्य भारत में अपनी तरह का पहला है और अब तक किसी भी निजी अस्पताल में भी यह अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध नहीं है। अधीक्षक एमजीएम इंदौर डॉ. अशोक यादव ने बताया कि यह उन्नत उपकरण बोन मैरो ट्रांसप्लांट के मरीजों के लिए अत्यधिक लाभकारी है। यह ग्राफ्ट रिजेक्शन की संभावना को कम करता है साथ ही ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन को रोकने में मदद करता है, जिससे मरीजों के उपचार में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। उपकरण की कमीशनिंग और स्रोत स्थापना का कार्य प्रगति पर है। यह उपकरण प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा और चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

सीएमएचओ टीकमगढ़ को शोकॉज और पांच हजार का जमानती वारंट जारी

भोपाल. मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा वर्ष 2023 के एक मामले में अब तक जवाब न देने के कारण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टीकमगढ़ को धारा 32(क) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पांच हजार रुपए का जमानती वारण्ट व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति हेतु जारी किया गया है। सूचना पत्र एवं जमानती वारंट पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़ के माध्यम से तामील कराया जाना है। आयोग के प्र.क्र. 2734/टीकमगढ़/2023 में कई बार पदनाम एवं नामजद स्मरण पत्र देने के बावजूद भी प्रतिवेदन न देने के कारण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ रोशन को दिनांक 09 सितम्बर, 2024 को आयोग में स्वयं उपस्थित होने के लिए कहा गया है। आयोग ने एक दैनिक समाचार पत्र ''नवभारत समाचार पत्र'' दिनांक 20/04/2023 में प्रकाशित समाचार शीर्षक ''15 वर्षों से झोलाछाप डॉक्टर कर रहा मरीजों की जान से खिलवाड़'' खबर पर स्वत: संज्ञान लिया और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टीकमगड़ से जांच कराकर 30/05/2023 तक प्रतिवेदन मांगा था। तत्पश्चात दिनांक 13/06/2023, 23/08/223, 07/12/2023, 05/02/2024 एवं 18/06/2024 को स्मरण पत्र एवं व्यक्तिगत नाम से पत्र जारी करने के बावजूद डॉ रोशन द्वारा नियत अवधि में न तो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और न ही तत्संबंधी कोई कारण दर्शित किया गया।

ट्रैक्टर रिपेयरिंग की बात को लेकर विवाद हमले में मैकेनिक की मौत

नीमच। जिले के रतनगढ़ थाना क्षेत्र की डीकेन चौकी एरिया में गुरुवार को ट्रेक्टर रिपेयरिंग की बात को लेकर टेक्टर मालिक व मेकेनिक के बीच विवाद हो गया विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई इस मारपीट के दौरान ट्रेक्टर मालिक ने किसी वस्तु से मेकेनिक पर वार करदिया जिससे उसकी मौत हो गई,जिसके बाद वह मोके से फरार हो गया,वही घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।उक्त घटना की जानकारी पर पुलिस भी मौके पर पहुची ओर मोर्चा सम्भाला। उक्त संदर्भ में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया ने बताया कि जिले के रतनगढ़ थाना क्षेत्र की डीकेन चौकी एरिया में महेश पाटीदार नामक व्यक्ति का ट्रैक्टर खराब हो गया था जिस पर उसने आमीन पिता फारूक मंसूरी को बुलवाया था इसके बाद किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया इस विवाद में महेश पाटीदार ने आमीन पर पत्ते से हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और आरोपी महेश पाटीदार को गिरफ्तार कर लिया गया है .

उप मुख्यमंत्री ने मेंदोला के पिताजी के निधन पर दी श्रद्धांजलि

भोपाल, 22 अगस्त. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने विधायक रमेश मेंदोला के इंदौर स्थित निवास पहुंचकर श्री मेंदोला के दिवंगत पिता चिंतामणि मेंदोला के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी। उन्होंने श्रद्धा-सुमन अर्पित किये और दिवंगत पुण्यात्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। साथ ही, शोक संतप्त परिजनों को ढांढस भी बंधाया। इस दौरान परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी श्रद्धा-सुमन अर्पित किये।

कार्यालय अधीक्षक केन्द्रीय जेल भोपाल म.प्र.

क्रमांक/072/निर्वाह/2024 — भोपाल, दिनांक 20/8/2024

अल्पकालिक ई-टेंडरिंग निविदा सूचना

वर्ष 2024-25 हेतु
द्वितीय आमंत्रण

पंजीकृत एवं प्रतिष्ठित फर्मों की ओर से केन्द्रीय जेल भोपाल के अंडा सेल पर स्थापित सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम के रख-रखाव तथा मरम्मत की सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु ए.एम.सी. के लिए ई-निविदा वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं :-

क्र.	विवरण	दिनांक/समय	स्थान
01.	प्री बिड मीटिंग की तिथि	दिनांक 30.8.2024 को समय प्रात: 11 बजे	संबंधित जेल अधीक्षक कार्यालय में जिस जेल हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है.
02.	निविदा फार्म क्रय करने की अंतिम तिथि, निविदा फार्म का मूल्य रु. 1000-लेखा शीर्ष 0056, जेलें-008 अन्य प्राप्तियां ऑनलाइन जमा की जावेगी.	दिनांक 9.9.2024 समय शाम 17.30 बजे तक	www.mptenders.gov.in पर प्राप्त किए जा सकते हैं.
03.	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	दिनांक 9.9.2024 शाम 17.30 बजे तक	www.mptenders.gov.in ऑनलाइन स्वीकार की जावेंगी.
05.	तकनीकी निविदा (आवश्यक दस्तावेज) ऑनलाइन खोलने की तिथि	दिनांक 11.9.2024 समय दोपहर 12.30 बजे	कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय जेल भोपाल म.प्र.
06.	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि	13.9.2024 समय दोपहर 12.30 बजे	कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय जेल भोपाल म.प्र.

निविदा फार्म, नियम व शर्तें तथा इस निविदा संबंधी अन्य विवरण वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है. निविदा से संबंधित कोई भी संशोधन संबंधित वेबसाइट www.mptenders.gov. in पर किया जाएगा, जिसका पृथक से प्रकाशन समाचार पत्रों में नहीं किया जाएगा.

G15190/24

जेल अधीक्षक
केन्द्रीय जेल भोपाल

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, सीहोर, जिला सीहोर म.प्र.

क्रमांक/3703/सा.प्र./स्था.शाखा/2024 — सीहोर, दिनांक 22/8/2024

विज्ञापन

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट याचिका क्रमांक 7275/2019 में पारित आदेश दिनांक 30/1/2024 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-07-19/2019/आ.प्र./1 दिनांक 14.2.2024 म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पत्र क्रमांक/676/16017123/2023/18-1 दिनांक 16/2/2023, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक / स्था/एक/201/ प्र.शि./2024/3780 भोपाल दिनांक 26.2.2024 तथा मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन के पत्र क्रमांक एफ-8-2/2013/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 4/1/2024 एवं अन्य पत्रों में दिए गए निर्देशानुसार विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए चिन्हांकित निम्नानुसार पद हेतु आरक्षित पदों की पूर्ति वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है. इस हेतु निर्धारित योग्यता एवं अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी नीचे दर्शाए गए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भर कर दिनांक 10/9/2024 कार्यालयीन समय 5.30 सायंकाल तक आवेदन पत्र प्रेषित करें. निर्धारित समयावधि में आवेदन पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में उन पर विचार नहीं किया जाएगा. डाक के माध्यम से विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र के लिए निकाय/ कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा. दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित रिक्त पदों का विवरण, वेतनमान, निर्धारित योग्यता एवं वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए निर्धारित तिथि की जानकारी निम्नानुसार है :-

स.र.ल.क्र.	पद का नाम	पद की श्रेणी	वेतनमान	दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित वर्गवार रिक्तियां				निर्धारित योग्यता	वॉक-इन-इंटरव्यू हेतु निर्धारित तिथि
				दृष्टिबाधित और कम दृष्टि	बहरे और कम सुनने वाले	लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसमें सम्मिलित हैं, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निंग, डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	सफाई संरक्षक (संविदा)	चतुर्थ	8000/- या कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर देय होगी	03	02	02	02	पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण	पात्र अभ्यर्थियों को वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथि एवं समय की सूचना उनके ई-मेल आईडी पर पृथक से दी जावेगी.

आवेदन का प्रारूप

स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज का फोटो चस्पा करें

प्रति,
कार्यालय का नाम/ पूरा पता/ टेलीफोन नंबर....
1. आवेदक / आवेदिका का पूरा नाम....................
2. आवेदक/ आवेदिका के पिता/ पति का नाम....................
3. आवेदक/ आवेदिका की माता का नाम....................
4. आवेदक/ आवेदिका की जन्मतिथि (जन्म प्रमाण पत्र/ हाई स्कूल की अंकसूची अनुसार) वर्ष..........माह..........दिन..........
5. दिनांक...को आयु वर्ष..........माह..........दिन..........
6. आवेदक/ आवेदिका का लिंग (पुरुष/ महिला/अन्य)....................
7. नि:शक्तता का डिजिटल प्रमाण पत्र संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी (हां/नहीं)....................
8. दिव्यांगता की श्रेणी एवं दिव्यांगता का प्रतिशत....................
9. आवेदक/ आवेदिका की जाति....................
10. आवेदक/ आवेदिका यदि विवाहित हो तो विवाह के प्रमाण पत्र अनुसार विवाह की दिनांक....................
11. जीवित संतानों का विवरण....................
12. वर्तमान पता/ पिन कोड....................
13. स्थाई पता/ पिन कोड....................
14. पत्राचार का पता/ पिन कोड....................
15. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं रोजगार कार्यालय का नाम....................
16. संविदा पद हेतु अनुभव का विवरण....................
17. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताएं (प्रमाण पत्रों की स्व-प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था बोर्ड/ विश्वविद्यालय का नाम	विषय	कुल अंक	प्राप्त अंक	प्रतिशत	श्रेणी

18. अनुभव यदि हो तो उसका विवरण....................
19. अतिरिक्त विशेष योग्यता यदि हो तो उसका विवरण....................
20. ई-मेल आईडी....................
21. मोबाइल नंबर :- 1..........2..........

आवेदक के हस्ताक्षर एवं पूरा पता

घोषणा पत्र

'मैं घोषणा करता हूं/ करती हूं कि उपरोक्त सभी जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है, यह मेरे विवेक एवं ज्ञान से पूर्णत: सत्य है. कोई भी जानकारी असत्य पाई जाने पर मेरा आवेदन निरस्त किया जावे.

आवेदक के हस्ताक्षर

1. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है.
2. समस्त प्रमाण पत्रों को सक्षम अधिकारी अथवा स्वयं सत्यापित करने के उपरांत प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न प्रेषित की जावे.
3. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी-3-38/16/1/3 भोपाल दिनांक 4 जुलाई 2019 अनुसार अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष, आरक्षित वर्ग- अनु.जा., अनु.जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय/ निगम/ मंडल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/ नगर सैनिक/ नि:शक्तजन/ महिलाओं (अनारक्षित/ आरक्षित) आदि के लिए 18 से 45 (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी)
4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी-3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं परिपत्र क्रमांक सी-3-38/16/1/3, भोपाल दिनांक 4 जुलाई 2019 अनुसार के अनुसार आवेदक का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है.
5. आवेदक को वॉक-इन-इंटरव्यू / साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य है.
6. नि:शक्तता का डिजिटल प्रमाण पत्र संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा एवं दिव्यांगता के डिजिटल प्रमाण पत्र की अनिवार्यता दिनांक 1/6/2021 से लागू की गई है. अत: उक्त तिथि के पूर्व जारी मैन्यूअल दिव्यांगता प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे.
7. डिजिटल जाति मूल निवासी प्रमाण पत्र/ जाति प्रमाण पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया ही मान्य होगा.
8. वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए आने वाले आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.
9. अधूरे, अस्पष्ट एवं अपठनीय आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा.
10. भर्ती से संबंधित जानकारी एवं शर्तें कार्यालयीन समय में निकाय से प्राप्त की जा सकती हैं.
11. यह कि जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो, उसे उक्त पदों के लिए अयोग्य माना जाएगा.
12. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को पूर्ण करता है.
13. आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पाई जाती है अथवा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जाता है तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिए बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है.
14. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30/6/2014 के अनुसार वर्गवार आरक्षण न करते हुए दिव्यांगजनों की श्रेणी के आधार पर आरक्षण किए जाने से विशेष पिछड़ी जनजातियों (सहारिया/ सहरिया, भारिया एवं बैगा) महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदकों को पृथक से आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा.
15. ऐसे समस्त आवेदन पत्र, जो अपूर्ण हैं एवं विहित प्रारूप में नहीं हैं, वे निरस्त कर दिए जाएंगे. अभिलेखों को कूटरचित किया या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए गए हों, जो रूपांतरित किए गए हों, वे भी निरस्त कर दिए जाएंगे, साथ ऐसे विवरण दिए गए हों, जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो चयन के लिए आवश्यक हो तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जाएंगे.
16. दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का उनके लिए जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही कि वे वास्तव में विकलांग हैं, यह जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किए जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे.
17. यह कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के नि:शक्तता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या अधिक पाए जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा.
18. शासन के आदेश के अनुसार कोई भी अभ्यर्थी जिसके 02 से अधिक जीवित संतानें हैं, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है तो ऐसा अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा, लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव में दो या अधिक संतानें जन्म लेती हैं तो उसे अयोग्य नहीं माना जावेगा.
19. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/ए भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन होने पर अभ्यर्थी 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त होगा. परिवीक्षा अवधि में अभ्यर्थी को प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में दी जाएगी.
20. दिव्यांगजनों हेतु चिन्हांकित संविदा के पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही मध्यप्रदेश नगर पालिका संविदा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) सेवा, नियम 2021 में विहित प्रावधान अनुसार की जावेगी.
21. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के पास सुरक्षित होंगे.

(भूपेन्द्र कुमार दीक्षित)
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद्, सीहोर